

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा

-: कार्यालय आदेश :-

क्रमांक : 2026 / 44

दिनांक : 29.09.2026

मैं सुनिल जांगिड़, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, के पत्र क्रमांक Gen-/XIX/Misc./2000/911/718 Dated 01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम से पूर्व अंकित तिथि को बालोतरा न्यायक्षेत्र में माह अक्टूबर व नवम्बर 2026 के निम्नलिखित राजकीय अवकाशों में बालोतरा मुख्यालय (सम्पूर्ण राजस्व जिला) में स्थित न्यायालयों के यथा विधिनुसार, आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक प्रकृति के कार्य, यथा पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा प्रतिप्रेषण, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु-समीक्षा जांच, धारा 52-ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री एवं अन्य सभी प्रकृति के आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य हो, तो उस संबंध में अपने न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यालय समय 11:00 ए.एम. से 01:00 पी.एम. तक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करता हूँ :-

माह अक्टूबर, 2026

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
1	02.10.2026	डॉ. रामचन्द्र चौहान, अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 01, बालोतरा
2	04.10.2026	डॉ. रामचन्द्र चौहान, अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 01, बालोतरा
3	10.10.2026 व 11.10.2026	श्री नितिन ओजवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिणघरी
4	18.10.2026 व 19.10.2026	श्री विनोद पंवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा
5	20.10.2026 व 21.10.2026	श्रीमती सुनीता जिन्दोलिया, अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 02, बालोतरा
6	22.10.2026 व 23.10.2026	श्रीमती रोजी कंसारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा
7	24.10.2026 व 25.10.2026	सुश्री भावना मकवाना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा

माह नवम्बर, 2026

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
1	01.11.2026	डॉ. रामचन्द्र चौहान, अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 01, बालोतरा
2	07.11.2026 व 08.11.2026	श्रीमती सुनीता जिन्दोलिया, अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 02, बालोतरा
3	09.11.2026 व 10.11.2026	श्री धारू राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना
4	11.11.2026 व 12.11.2026	श्रीमती रोजी कंसारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा
5	13.11.2026 व 14.11.2026	सुश्री भावना मकवाना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा
6	15.11.2026	डॉ. रामचन्द्र चौहान, अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 01, बालोतरा
7	22.11.2026	श्री विनोद पंवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा
8	24.11.2026	श्री विनोद पंवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा
9	29.11.2026	श्री नितिन ओजवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिणघरी

नोट :-

- उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगा एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगा तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होन पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर अभियुक्त/अभियुक्तगण को पेश करने पर थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त/अभियुक्तगण को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा। उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न की जावेगी।
- नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हे उक्त अवकाश के दिन उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपाजित/अर्द्धवैतनिक/रूपांतरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित करेंगे।
- ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी विशेष परिस्थितियों में ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित करने वावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

-सही-

(सुनिल जांगिड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा (राज.)